

क्रमांक: आर.एन.सी./2025/3581

दिनांक: 29/09/2025

प्रधानाचार्य,

समस्त राजकीय ए.एन.एम. नर्सिंग स्कूल

राजस्थान।

विषय:- ए.एन.एम. द्वितीय वर्ष पूरक परीक्षा हेतु परीक्षा फॉर्म भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि ए.एन.एम. द्वितीय वर्ष पूरक परीक्षा आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। अतः उक्त परीक्षा में बैठने की योग्यता रखने वाले प्रशिक्षणार्थियों के परीक्षा फॉर्म संस्थाओं द्वारा कार्यालय के परीक्षा पोर्टल पर दिनांक 01.10.2025 से 13.10.2025 मध्यरात्रि 12.00 बजे तक भरे जा सकते हैं। उक्त परीक्षा के संबंध में संस्थाओं द्वारा निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जानी है:

1. उक्त परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि ए.एन.एम. द्वितीय वर्ष पूरक परीक्षा के योग्य प्रशिक्षणार्थियों के ही परीक्षा फॉर्म भरे जावे।
2. प्रशिक्षण संस्था द्वारा पोर्टल पर Apply Exam Option पर क्लिक करके योग्य प्रशिक्षणार्थियों के परीक्षा आवेदन किया जाना है।
3. संस्था परीक्षा फार्म भरने से पहले यह सुनिश्चित करें कि:
 - प्रशिक्षणार्थी ने आई.एन.सी. द्वारा निर्धारित सिलैबस अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है।
 - किसी भी प्रशिक्षणार्थी का पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण अध्याधीन है तो उक्त प्रकरण में अंतिम निर्णय की प्रति राजस्थान नर्सिंग कौंसिल को भिजवाकर सूचित करते हुए कार्यवाही करें।
4. प्रशिक्षणार्थी के परीक्षा फार्म में संस्थान द्वारा उपस्थिती एवं विषय अंकित किया जाने के पश्चात ही निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा किया जाए।
5. परीक्षा फॉर्म मय शुल्क जमा होने के पश्चात भरे हुए फार्म का प्रिंट लेकर प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित कर निम्न दस्तावेज़ संलग्न कर कार्यालय को दिनांक 15.10.2025 सायं 5:00 बजे तक जमा किया जाना सुनिश्चित करें:
 - 10वीं की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति।
 - 12वीं की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति।
 - सभी प्रशिक्षणार्थियों के सत्रवार प्रवेश तिथि एवं विषयवार उपस्थिती की सूची।
 - ए.एन.एम. प्रथम वर्ष की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति एवं यदि प्रशिक्षणार्थी पूर्व में ए.एन.एम. द्वितीय वर्ष परीक्षा में सम्मिलित हुआ है, तो उक्त अंकतालिका की प्रमाणित प्रति।
6. संस्था द्वारा अगर किसी भी अयोग्य प्रशिक्षणार्थी का परीक्षा आवेदन भरा जाता है तो संबन्धित प्रशिक्षणार्थी का परीक्षा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा एवं परीक्षा शुल्क राजस्थान नर्सिंग कौंसिल के राजपत्र अनुसार नहीं लौटाई जाएगी। एवं संस्था के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परीक्षा फॉर्म उपरोक्त समस्त दस्तावेज़ संलग्न कर निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय तक काउंसिल कार्यालय में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें, उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त परीक्षा आवेदन पत्रों एवं अपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, जिसकी समस्त ज़िम्मेदारी संस्था प्रधान की होगी।

पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावे।


(जोईस कुरियन)

रजिस्ट्रार

राजस्थान नर्सिंग काउंसिल

जयपुर